

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: *240
उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत लाभार्थी

*240. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों, विद्यालयों, कोचिंग सुविधाओं और अन्य सहायता सेवाओं सहित शैक्षिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) शैक्षिक विकास और अवसंरचना के सृजन के लिए इस योजना के अंतर्गत आवंटित/उपयोग की गई धनराशि, शामिल किए गए लाभार्थियों और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत लाभार्थी’ के संबंध में श्री राव राजेंद्र सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *240, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता है जिसमें तीन घटक शामिल हैं (i) आदर्श ग्राम, (ii) सहायता अनुदान (iii) छात्रावासों का निर्माण/मरम्मत। आदर्श ग्राम घटक के तहत, चयनित गांवों का विकास शिक्षा सहित 50 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों वाले 10 कार्यक्षेत्रों (डोमेन) के तहत किया जाता है। कुल 17,067 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, जिसमें 29.07.2026 तक 2,65,509 लाभार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ पहुंचाया गया है।

पीएम-अजय के छात्रावास घटक के अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों में और भारत के अन्य हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके साक्षरता बढ़ाना तथा स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है।

पीएम-अजय दिशानिर्देशों के अंतर्गत, बालिकाओं के छात्रावासों में चौबीसों घंटे महिला वार्डन/गार्ड की उपस्थिति, इन-हाउस कोचिंग, चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य शिविर, आईटी शिक्षा और खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था, साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और पहुंच बढ़ाने हेतु विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के दौरान, 90 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं जिससे 10,649 छात्र लाभान्वित हुए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 198.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।